

न्यायालय सिविल जज, (सी0डि0), सहारनपुर।

मूलवाद संख्या 1273/2022

राजकुमार

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य आदि

08.05.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्रक पर वाद पर बल न देने का पृष्ठांकन किया है और याचना की है कि वाद वादी की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया जाये। इन तथ्य परिस्थितियों में न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादी का वाद वादी की अनुपस्थिति तथा प्रतिवादी अधिवक्ता की उपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

मूलवाद संख्या 1273/2022 राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि वादी की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की उपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज, (सी0डि0),
सहारनपुर।

